

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प011(17)वित्त/आब/2021 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 21/04/2026

--: आज्ञा ::--

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2024 में सफल घोषित किये जाने एवं आयोग की अनुशंषानुसार कार्मिक(क-4/2) विभाग की अशा.टीप क्रमांक प. 9(80)कार्मिक/क-4/2/2025/29202 दिनांक 19.03.2026 द्वारा सहायक आबकारी अधिकारी (सामान्य शाखा) के पद पर नियुक्ति हेतु संदर्भित अभ्यर्थियों को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.03.2026 के द्वारा नियुक्ति दी जाकर 7 दिवस में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया।

विभाग द्वारा जारी किए गए उपर्युक्त नियुक्ति आदेश में सम्मिलित श्री अनन्त गौड़ द्वारा कार्यग्रहण करने हेतु विस्तार समय की मांग किये जाने पर इनके आवेदन पत्र पर विचार किया जाकर कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प.8(3)कार्मिक/ए-11/73 दिनांक 18.10.1997 के अनुसार कार्यग्रहण हेतु इस विभाग की आज्ञा क्रमांक प.11(17)वित्त/आब/2021 पार्ट दिनांक 15.04.2026 द्वारा निर्धारित कार्यग्रहण की दिनांक 23.03.2026 से 1 माह का विस्तार समय स्वीकृत किया गया।

श्री अनन्त गौड़ द्वारा कार्यग्रहण करने हेतु विस्तार समय की पुनः मांग किये जाने पर इनके आवेदन पत्र पर विचार किया जाकर कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प.8(3)कार्मिक/ए-11/73 दिनांक 18.10.1997 के अनुसार कार्यग्रहण हेतु निम्नानुसार विस्तार समय स्वीकृत किया जाता है-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	रोल नम्बर	मेरिट नम्बर	कार्यग्रहण में अभिवृद्धि का कारण	कार्यग्रहण में अभिवृद्धि की तिथि/अवधि
1.	ANANT GAUR	1100866	74	पारिवारिक कारण	दिनांक 23.04.2026 से 5 माह

उपरोक्त अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि यदि पूर्व में आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया हो तो वे अपनी उपस्थिति आबकारी आयुक्त कार्यालय, उदयपुर में प्रस्तुत करें तथा पूर्व में आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग नहीं लिया है तो वे अपनी उपस्थिति हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, उदयपुर में प्रस्तुत करें।

आज्ञा से,

(वरुण मिश्रा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक एवं पदेन अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग को उनकी अशा. टीप क्रमांक प. 9(80) कार्मिक/क-4/2/2025/29202 दिनांक 19.03.2026 के क्रम में।
6. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, कम्प्यूटर सैल, वित्त विभाग।
8. संबंधित अभ्यर्थी-द्वारा आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

कमरा नं. 4120 व 5125 मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर-302005
Room No.4120 & 5125, Main Building, Secretariat, Jaipur-302005
Phone: 0141-5153222 Ext. 24470 & 24458, Fax No. 0141-2227239 website: www.finance.rajasthan.gov.in.email:
dsfexcise@rajasthan.gov.in